बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ, (बेली रोड), पटना – 800001

आवश्यक सूचना

CWJC No-19762/2016 में पारित न्यायादेश एवं शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–3659 दिनांक–29.11.2022 के द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में बिहार सरकार के अधीन विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या–59/2014 (प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व), 60/2014 (प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति) एवं 61/2014 (प्राचीन भारतीय इतिहास एवं एशियन अध्ययन) विषयों के अर्हित उम्मीदवारों में से कोटिवार मेधाक्रमानुसार चयनित उम्मीदवारों का साक्षात्कार दिनांक–09.05.2023 से 13.05.2023 तक आयोजित किया जाएगा।

साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम एवं अनुदेश, आरक्षण कोटिवार कट–ऑफ अधिमार अंक आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित कर दिया गया है।

वैसे उम्मीदवार, जिन्हें कोटिवार उक्त कट–ऑफ अधिमार अंक के समतुल्य अथवा उससे अधिक अधिमार अंक होने का दावा हो तथा जिन्हें साक्षात्कार के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है, से अपने अधिमार अंकों की गणना तालिका एवं संगत प्रमाण पत्रों/अंक पत्रों के साथ अपना आपत्ति अभ्यावेदन मात्र **e-mail: bpscpat-bih@nic.in** से दिनांक–28.04.2023 तक आयोग में भेज सकते हैं। दिनांक–28.04.2023 को 5.00 बजे अपराह्न के बाद प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों द्वारा Ph.D/M.Phil With UGC Regulation 2009 का दावा किया गया है, उन्हें विशेष रूप से निर्देश दिया जाता है कि वे अपना Ph.D. का निबंधन संख्या एवं तिथि तथा अपने–अपने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से निर्गत Pre Ph.D अंकपत्र एवं Ph.D/M.Phil कितने और किन–किन Criteria से उत्तीर्ण है, से सम्बंधित प्रमाणपत्र साक्षात्कार के दिन समर्पित करेंगे। उक्त प्रमाणपत्र समर्पित नहीं करने वाले अभ्यर्थी को Ph.D/M.Phil Without UGC Regulation 2009 माना जाएगा।

साक्षात्कार की तिथि के एक सप्ताह पूर्व उम्मीदवारों का साक्षात्कार पत्र आयोग के वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिसे डाउनलोड कर साक्षात्कार में शामिल होना सुनिश्चित करेंगे। **किसी उम्मीदवार को डाक/ ईमेल से साक्षात्कार पत्र नहीं भेजा जाएगा।**

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि साक्षात्कार के लिए आमंत्रित सभी उम्मीदवारों की अर्हता पूर्णतः औपबंधिक है। उनकी अर्हता पर यथासमय समीक्षा कर यथोचित निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

परीक्षा नियंत्रक,

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।